बिहार सरकार

बिहार राज्य
महिला सशक्तीकरण नीति, 2015
एवं एकीकृत कार्य योजना

बिहार सरकार

बिहार राज्य
महिला सशक्तीकरण नीति, 2015
एवं एकीकृत कार्य योजना

समाज कल्याण विभाग
बिहार सरकार

बिहार सरकार

श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री
बिहार

संदेश

राज्य में पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक सशक्तीकरण हेतु दूरगामी प्रभाव वाले कदम उठाये गए हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप बिहार की किशोरियों तथा महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में कई उपलब्धियाँ अर्जित की हैं, लेकिन उनके विकास की राह में अभी भी अनेक चुनौतियाँ हैं जिन्हें दूर किये जाने की आवश्यकता है।

बिहार राज्य महिला सशक्तीकरण नीति राज्य की किशोरियों एवं महिलाओं के समग्र विकास एवं सशक्तीकरण की दिशा में व्याप्त गत्यवरोधों को दूर कर समाज में लैंगिक समानता स्थापित करने की राह में एक ऐतिहासिक कदम है। राज्य सरकार बालिकाओं एवं महिलाओं के पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमतावर्धन आदि के लिए प्रतिबद्ध है तथा उनके समग्र विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के साथ ही बेहतर सामाजिक वातावरण के निर्माण की दिशा में प्रयासरत है।

यह नीति उन चुनौतियों को दूर कर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, भेदभाव रहित, शोषणमुक्त एवं स्वस्थ सामाजिक वातावरण के निर्माण के लिए संकल्पित है। इस नीति का लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं शैक्षणिक संसाधनों तक महिलाओं तथा किशोरियों की पहुँच सुनिश्चित करना है ताकि उन्हें विकास के लिए समान अवसर की प्राप्ति हो जिससे समतामूलक समाज की स्थापना हो सकें।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह नीति राज्य की किशोरियों एवं महिलाओं के विकास तथा सशक्तीकरण की दिशा में सतत मार्गदर्शन प्रदान करती रहेगी तथा उन्हें विकास की प्रक्रिया से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

(नीतीश कुमार)

बिहार सरकार

लेशी सिंह
माननीय मंत्री
समाज कल्याण विभाग

संदेश

राज्य की महिला सशक्तीकरण नीति बिहार की महिलाओं और किशोरियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। यह विकास से जुड़े सभी हितभागियों को एक नई दृष्टि प्रदान करेगी जिससे विकास में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित होगी। यह समाज में व्याप्त रुढियों एवं परम्पराओं को समाप्त करने हेतु योजना बनाने एवं उनके क्रियान्वयन में मार्गदर्शन का कार्य करेगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कुशल मार्गदर्शन में इस नीति में सरकार के सभी विभागों के लिए जिम्मेवारी तय की गई है जिसके आलोक में विनिर्दिष्ट विभागों द्वारा कार्य योजना का निर्माण कर उस पर अमल किया जाना है।

समाज कल्याण विभाग ने महिलाओं एवं किशोरियों से जुड़े जीवन के प्रत्येक पहलू को समेकित कर इस नीति का निर्माण किया है तथा कार्यक्रमों एवं योजनाओं के समन्वय की जिम्मेवारी ली है। मुझे उम्मीद है कि इस नीति के कार्यान्वयन द्वारा महिला सशक्तीकरण एवं विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।

(लेशी सिंह)

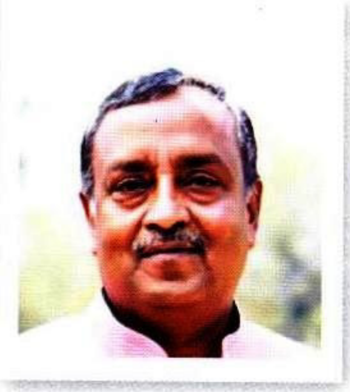

बिहार सरकार

अंजनी कुमार सिंह, भा.प्र.से
मुख्य सचिव, बिहार सरकार

संदेश

महिलाओं एवं किशोरियों के सशक्तीकरण के लिए विभिन्न सरकारी, गैर–सरकारी संस्थाओं तथा विकास साझीदारों के साथ व्यापक चर्चा एवं परामर्श के उपरान्त बिहार राज्य महिला सशक्तीकरण नीति तैयार की गई है। यह नीति योजनाओं एवं व्यवस्थाओं तक बालिकाओं तथा महिलाओं की पहुँच सुनिश्चित करने और उनके समग्र विकास के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करने में सहायक होगी। इसके कार्यान्वयन से राज्य में विकास को नई गति मिलेगी तथा राज्य की आधी आबादी की न्यायोचित भागीदारी सुनिश्चित होगी। यह दस्तावेज प्रगतिशील होगी तथा आवश्यकतानुसार इसे परिष्कृत किया जा सकेगा।

मुझे विश्वास है कि यह नीति लैंगिक असमानता, जाति, वर्ग और नस्ल से परे संरचनात्मक एवं संस्थागत बाधाओं को दूर कर बिहार की किशोरियों एवं महिलाओं के विकास की राह को सुगम बनाते हुए राज्य के मानव विकास के लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण होगी।

(अंजनी कुमार सिंह)

बिहार सरकार

अरविन्द कुमार चौधरी, भा.प्र.से.
सचिव,
समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार

संदेश

महिलाओं एवं किशोरियों का सशक्तीकरण उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनैतिक भागीदारी जैसे अवसरों से निकटता से जुड़ा है। इसे समग्र एवं व्यापक परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य महिला सशक्तीकरण नीति के अंतर्गत समाहित करते हुए राज्य के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करने का प्रयास किया गया है। यह नीति, योजना बनाते समय महिलाओं को प्रमुख हितभागी के रूप में देखने तथा विकास प्रक्रिया में उन्हें बराबर की भागीदारी देने की राज्य की अवधारणा पर अवलंबित है।

यह नीति राज्य के सामाजिक धारणाओं में परिवर्तन कर महिलाओं को मुख्यधारा में लाने तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संबंधी संसाधनों तक महिलाओं की न्यायसंगत पहुँच सुनिश्चित करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न विभागों को योजनाओं के सम्बन्ध में व्यावहारिक दिशा–निर्देश उपलब्ध कराने तथा महिला सशक्तीकरण हेतु कार्यान्वित कार्यक्रम के निर्धारण एवं मूल्यांकन में सभी विभागों के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम करेगा। समाज कल्याण विभाग इस नीति के कार्यान्वयन हेतु विकास साझीदारों, सिविल सोसाईटी संगठनों, गैर–सरकारी संगठनों, मीडिया एवं समुदायिक नेतृत्व के साथ समन्वय स्थापित कर निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तत्परता के साथ प्रयास करेगी।

मुझे विश्वास है कि यह नीति राज्य में किशोरियों एवं महिलाओं के समग्र विकास एवं सशक्तीकरण की प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शक साबित होगी। समाज कल्याण विभाग इसमें विहित लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सतत प्रयासरत रहेगा।

(अरविन्द कुमार चौधरी)

इमामुद्दीन अहमद, भा.रा.से.
निदेशक, समाज कल्याण
–सह–
प्रबंध निदेशक, म0वि0नि0

बिहार सरकार

आभार

बिहार राज्य महिला सशक्तीकरण नीति का निर्माण विकास साझीदारों, सिविल सोसाईटी, गैर–सरकारी संगठनों, मीडिया आदि के सम्यक् योगदान तथा प्रयासों से ही संभव हो पाया है। इस नीति को समग्र तथा व्यापक परिप्रेक्ष्य में निर्मित करने तथा किशोरियों एवं महिलाओं के विकास तथा सशक्तीकरण से जुड़े सभी पहलओं एवं मुद्दों को एक संरचना में एकीकृत करने में सभी हितभागियों की अहम् भूमिका रही है।

सरकार के सभी विभागों, विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, शहरी विकास एवं आवास विभाग का मैं आभार प्रकट करता हूँ जिनके महत्वपूर्ण सुझावों एवं संबद्धता से यह नीति वर्तमान स्वरूप में आई है। राज्य के मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह के नेतृत्व तथा सतत् मार्गदर्शन से नीति के कार्ययोजना को व्यापक संदर्भ में परिभाषित किया जा सका है।

मैं उन सभी संगठनों विशेषकर राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन, राज्य महिला आयोग, राज्य बाल संरक्षण आयोग, जीविका, कॉम्फेड, महिला सामाख्या, एक्शन ऐड, केयर इंडिया, पाथफाइंडर, ममता, नारी गुंजन के प्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होनें राज्य स्तरीय परामर्शी कार्यशाला में अपने महत्वपूर्ण सुझावों तथा मंतव्यों से महिलाओं के लिए निर्मित होनेवाली राज्य नीति को दिशा तथा दृष्टिकोण प्रदान किया। नीति निर्माण की पूरी प्रकिया में डी0एफ0आई0डी– बीटास्ट ने सक्रियता से सहयोग प्रदान किया है जो सराहनीय है।

बिहार राज्य महिला सशक्तीकरण नीति के निर्माण में बीटास्ट की जेंडर विशेषज्ञ श्रीमती माधुरी दास तथा महिला विकास निगम के श्री शाहनवाज अहमद को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होनें समाज कल्याण विभाग को नीति की संरचना तथा अंतिम रूप देने में सतत रूप से तकनीकी सहयोग प्रदान किया है।

समाज कल्याण विभाग राज्य के शिक्षाविद्ों, विशेषज्ञों, गणमान्य व्यक्तियों तथा नीति को अंतिम रूप देने हेतु गठित समिति के सभी सदस्यों तथा का भी इस दस्तावेज को समृद्ध बनानें में दिये गये योगदान की सराहना करता है।

राज्य की महिला सशक्तीकरण नीति का यह दस्तावेज बिहार की किशोरियों एवं महिलाओं के विकास एवं सशक्तीकरण की प्राप्ति में महत्वपूर्ण साबित होगा और इन्हें अवसर तथा संसाधनों तक समान पहूँच सुनिश्चित कर सशक्त एवं समृद्ध बिहार का निर्माण करेगा।

Ahmad

(इमामुद्दीन अहमद)

विषय–सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
बिहार राज्य महिला सशक्तीकरण नीति, 2015		
1 : पृष्ठभूमि		
1	प्रस्तावना	1
2	महिला सशक्तीकरण पर राज्य सरकार की पहल	1
3	महिला सशक्तीकरण नीति की प्रासंगिकता	3
2 : महिला सशक्तीकरण हेतु राज्य की नीति:		
1	मूलाधार	5
2	दृष्टि, लक्ष्य एवं मार्गदर्शक सिद्धांत	5
3	नीति के उद्देश्य	7
4	वृहत रणनीति	8
5	महिला सशक्तीकरण की राज्य नीति की प्राथमिकता वाले कर्णांकित क्षेत्र	9
6	नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु संस्थागत तंत्र	11
7	अनुश्रवण संकेतक	12
3: एकीकृत कार्ययोजना का निर्माण एवं अनुश्रवण		
1	एकीकृत योजना	14
2	समीक्षा एवं अनुश्रवण	14
एकीकृत कार्ययोजना		
1	लिंगानुपात संतुलन	17
2	गुणवत्तापूर्ण पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	19
3	अनुकूल वातावरण बनाने हेतु महिलाओं तथा बालिकाओं के लिये शिक्षा	22
4	महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए हिंसामुक्त, सुरक्षित एवं समर्थ वातावरण	26
5	आजीविका एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि	31
6	निर्णय प्रक्रिया एवं अभिशासन व्यवस्था में महिलाओं की सकारात्मक भागीदारी	34

बिहार राज्य महिला सशक्तीकरण नीति, 2015

1 पृष्ठभूमि

1 प्रस्तावना

किसी राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तीकरण अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है। इसलिए महिलाओं को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में लाना सरकार की प्राथमिकता रही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्त्तव्यों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में लैंगिक समानता का सिद्धांत प्रतिष्ठापित है। भारत का संविधान महिलाओं को न केवल समानता प्रदान करता है, बल्कि महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक उपायों को अपनाने में राज्यों को सशक्त भी करता है।

हमारा राष्ट्र महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने संबंधी संयुक्त राष्ट्र के घोषणा–पत्र (सी0ई0डी0ए0डब्ल्यू, 1979) पर सहमति देने वाले देशों में से एक है। अतएव महिला सशक्तीकरण का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना प्रत्येक राज्य की प्रतिबद्धता है।

बिहार में सरकार के सुशासन की कार्यसूची में महिला सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए महिला सशक्तीकरण नीति का निर्माण किया जा रहा है।

2 महिला सशक्तीकरण पर राज्य सरकार की पहल

पिछले कई वर्षो से राज्य सरकार द्वारा राज्य में महिलाओं की समग्र स्थिति में सुधार लाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं; जिससे शासन में इनकी भागीदारी बढ़ी है। पंचायती राज संस्थाओं एवं सहकारी समितियों में महिलाओं को 50% आरक्षण के

फलस्वरूप इनके निर्णय की क्षमता, नेतृत्व एवं समाजिक सहभागिता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण तथा बिहार पुलिस के सिपाही एवं अवर निरीक्षक सेवा में सीधी नियुक्ति में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण महिला सशक्तीकरण की दिशा में अनूठी पहल रही है।

विद्यालय जाने वाली लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना आदि लागू करने के फलस्वरुप विद्यालयों में उनका नामांकन बढ़ा है, उन्हें विद्यालय की पढ़ाई जारी रखने में मदद मिली है और नवयुवतियों को स्वतंत्रता तथा गतिशीलता मिली है। उनके शैक्षणिक स्तर में वृद्धि के फलस्वरूप बाल विवाह, भ्रूण हत्या में कमी तथा विवाह की उम्र में वृद्धि जैसे परिणाम परिलक्षित हुए है तथा कुल प्रजनन दर में भी कमी देखी गई है। राज्य में 12वीं कक्षा उतीर्ण महिलाओं में कुल प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर है। बालिकाओं के लिए शिक्षा और सुलभ करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। सरकार द्वारा सभी क्षमतावान महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण तथा रोजगार एवं आय उपार्जक कार्यकलापों को बढावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में संगठित करने हेतु वर्ष 2007–08 में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना 'जीविका' प्रारंभ की गई। लिंगानुपात में गिरावट, बालिकाओं के कम उम्र में विवाह जैसी समस्याओं को दूर करने, लैंगिक न्याय सिद्धांतों पर आधारित सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, मुख्यमंत्री अक्षर आँचल योजना आदि लागू की गयी है। सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के अन्तर्गत जेंडर बजट प्रक्रियाकरण पर भी ठोस पहल की जा रही है। महिलाओं पर विशेष ध्यान देने एवं उन्हें मुख्यधारा में लाने की प्रक्रिया, विभिन्न कार्यक्रमों यथा– मनरेगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन आदि के माध्यम से कारगर हुई है। ऐसे सकारात्मक प्रयासों के अतिरिक्त राज्य में महिलाओं की स्थिति में और अधिक सुधार लाने के लिए अनेक कार्य किये जाने हैं। राज्य इस तथ्य को स्वीकार करता है

कि महिला सशक्तीकरण के लिए उनके पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि सूचकों में सुधार अनिवार्य है।

3 महिला सशक्तीकरण नीति की प्रासंगिकता

किसी राष्ट्र या राज्य में लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण विकास का प्रमुख सूचक है। लैंगिक समानता को प्राप्त करने के लिए महिला सशक्तीकरण को समग्र परिवर्तन का अनिवार्य माध्यम बनाना होगा। साथ ही उन्हें उपलब्ध आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्वतंत्रताओं और विकल्पों का विस्तार कर उनकी 'स्थिति' में सुधार लाना होगा।

महिला सशक्तीकरण उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनैतिक भागीदारी जैसे अवसरों से निकटता से जुड़ी हुई है। विगत वर्षों में इनमें से अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। साक्षरता दर, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन दर और पढ़ाई पूरा किए बिना बीच में ही विद्यालय छोड़ देने की दर, प्रत्याशित आयु सीमा, बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर आदि के आँकड़े प्रगति की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। देश में पिछले दशक में महिलाओं की साक्षरता दर में बिहार में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। परंतु, आंकड़े यह भी बताते हैं कि महिलाओं की साक्षरता दर अभी भी कम है; लिंगानुपात की दर कम है, बाल विवाह का प्रचलन बना हुआ है, प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य सहित गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच अपर्याप्त है, जिसके फलस्वरूप जनन क्षमता अभी भी बहुत अधिक है; उच्च मातृ मृत्यु दर की स्थिति बनी हुई है; निर्णय लेने की उनकी क्षमता सीमित है; घरेलू हिंसा का प्रचलन है और आजीविका के विकल्प और अन्य अवसर तुलनात्मक रूप से कम हैं। उनकी समग्र स्थिति एवं विकास में गुणात्मक सुधार अपेक्षित है। सशक्तीकरण को तभी प्राप्त किया जा सकता है, जब महिलाओं की स्थिति के साथ उनकी पद–प्रतिष्ठा में सुधार हो तथा उनकी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक स्वतंत्रता में विस्तार हो।

राज्य के मानव संसाधन का लगभग आधा भाग महिलाओं का है, अतएव महिला सशक्तीकरण के द्वारा उनको मुख्यधारा में लाना एवं राज्य के विकास में उनकी सक्रिय

सहभागिता सुनिश्चित करना आवश्यक है। निस्संदेह, बिहार में, हाल के वर्षो में पुनरूत्थान के लिए मजबूत एवं गंभीर प्रयास किये गये हैं। इसके मद्देनज़र कानून और व्यवस्था तथा भौतिक आधारभूत संरचना में सुधार और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सुशासन पर अधिक ध्यान दिया गया है। इसके बावजूद आँकड़ों से यह ज्ञात होता है कि राज्य अभी भी प्रमुख सामाजिक सूचकांकों में पीछे है। ऐसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर बिहार सरकार ने महिलाओं एवं बालिकाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए महिला सशक्तीकरण की दिशा में आ रहे गत्यवरोधों को दूर करने तथा लैंगिक असमानता की खाई को भरने के लिए नीति निर्माण का निर्णय लिया है। महिला सशक्तीकरण की योजना बनाते समय राज्य का दृष्टिकोण महिलाओं को प्रमुख हितभागी के रूप में देखने तथा विकास प्रक्रिया में उन्हें बराबर की भागीदारी देने पर अवलंबित है।

★★★

2 महिला सशक्तीकरण हेतु राज्य-नीति

1 मूलाधार

नीतिगत स्तर पर इस बात की आवश्यकता है कि महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं के साथ–साथ उन्हें समग्र रुप में सशक्त करने हेतु विकास के प्रत्येक क्षेत्र यथा–सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक क्षेत्रों में ऐसे उपाय अपनाये जाएँ, जिससे राज्य में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के सम्बन्ध में व्यावहारिक दिशा–निर्देश उपलब्ध कराये जा सकें, ताकि महिला सशक्तीकरण हेतु कार्यान्वित कार्यक्रम के निर्धारण एवं मूल्यांकन में यह नीति सभी विभागों के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम करे। राज्य सरकार भी इस बात को मानती है कि लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया प्रत्येक कदम कुछ हद तक समानता की दिशा में महिलाओं के संघर्ष में सहायक होता है। इसी विश्वास के साथ सरकार ने महिलाओं के लिए एक नीति की घोषणा का निर्णय लिया है। यह भी आशा की जाती है कि यह नीति परम्परागत नीतिगत दस्तावेज से भिन्न होगी। इस दस्तावेज को प्रगतिशील मानना उपयोगी होगा, जिसे राज्य की क्षमता एवं आवश्यकता के आधार पर समय–समय पर परिष्कृत किया जा सकेगा। राज्य सरकार बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए कृतसंकल्प है। समग्र विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण महत्वपूर्ण होगा।

2 दृष्टि, लक्ष्य एवं मार्गदर्शक सिद्धान्त

इसकी मूल दृष्टि राज्य नीति के माध्यम से लैंगिक असमानता, जाति, वर्ग और नस्ल से परे संरचनात्मक एवं संस्थागत बाधाओं को दूर करना है ताकि समतामूलक समाज की स्थापना हो सके।

राज्य नीति का लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संबंधी संसाधनों तक महिलाओं की न्यायसंगत पहुँच सुनिश्चित करना एवं उनके समग्र विकास हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति सरकारी एवं गैर–सरकारी क्षेत्रों और मीडिया के साथ नेटवर्किंग, हिमायत, क्षमता–निर्माण, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक सशक्तीकरण, परामर्शी प्रक्रिया से की जाएगी।

राज्य की महिला सशक्तीकरण नीति राज्य के उद्देश्यों तथा मानव विकास मानकों को मज़बूती प्रदान करेगी, जिसके मार्गदर्शक सिद्धांत निम्नलिखित हैं:–

i. **समानता को प्रोत्साहित करने हेतु लिंग एवं अधिकार आधारित समावेशी दृष्टिकोण परिपुष्ट करना और अपनाना:–** कल्याणकारी दृष्टिकोण से सशक्तीकरण एवं अधिकार आधारित दृष्टिकोण की ओर बढ़ती हुई इस नीति से सुरक्षित एवं प्रगतिशील माहौल सृजित होगा, जिसका उपयोग महिलाएँ अपने अधिकारों एवं दायित्वों को निभाने में कर सकेंगी। इसे प्राप्त करने के लिए राज्य के सामाजिक धारणाओं में परिवर्तन कर महिलाओं को मुख्यधारा में लाने हेतु तंत्र विकसित किया जायेगा।

ii. **कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं की पहुँच सेवाओं तक सुनिश्चित करने की दिशा में विशेष ध्यान देना:–** नीति में इस बात को स्वीकार किया गया है कि सभी महिलाएँ एक ही और अभेदीकृत कोटि में नहीं आती हैं तथा सर्वाधिक कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं सहित समाज के सबसे कमजोर तबकों पर मुख्य निर्णय– कर्त्ताओं द्वारा खास ध्यान दिया जाना आवश्यक होगा ताकि उन्हें राज्य के विकास की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके।

iii. **उपयुक्त विधान, कार्यक्रम तथा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सहायता हेतु महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाले कार्यों की पहचान करना:–** यह नीति सरकारी, गैरसरकारी संगठनों, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और निजी क्षेत्रों द्वारा महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने में सहायक होगी। यह न केवल अपने–अपने क्षेत्रों में विकासोन्मुख कार्य योजनाओं के लिए भागीदारी सृजित करने में सहायक होगी, बल्कि त्वरित कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन में सहायता और मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराएगी।

3 नीति के उद्देश्य

योजनाओं एवं व्यवस्थाओं तक बालिकाओं एवं महिलाओं की पहुँच सुनिश्चित करने तथा उनके समग्र विकास के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु राज्य महिला सशक्तीकरण नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:—

i. राज्य के विकास के ढाँचे के अन्तर्गत वृहत् एवं लघु आर्थिक नीतियों, क्षेत्रीय नीतियों तथा कार्यक्रमों में महिला सशक्तीकरण के मामले को शामिल करते हुए आर्थिक विकास प्रक्रिया में महिलाओं की समान भागीदारी और लाभार्थी के रूप में सहभागिता सुनिश्चित करना।

ii. महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक हिंसा तथा अन्य मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारणों एवं परिणामों के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए उपयुक्त योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निर्माण तथा उनके क्रियान्वयन हेतु तंत्र विकसित करना।

iii. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए प्रारंभिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण तथा नियोजन की उपलब्धता समान रूप से सुनिश्चित करना।

iv. किशोरियों एवं महिलाओं को यौन एवं जनन स्वास्थ्य सहित गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना तथा मुख्य स्वास्थ्य सूचक यथा मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुल जनन क्षमता दर आदि से संबंधित लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करना।

v. शासनतंत्र, नेतृत्व, निर्णय लेने की प्रक्रिया एवं क्षमता और संस्थाओं में महिलाओं की समान पहुँच तथा पूर्ण सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना।

vi. जेंडर संवेदी बजट प्रक्रिया के संस्थापन के द्वारा सभी क्षेत्रों में तथा सभी स्तरों पर पर्याप्त संसाधन एवं लोक व्यय के आवंटन में मार्गदर्शन करना।

vii. मानवाधिकार के संगत राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेजों के कारगर कार्यान्वयन के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं के मानवाधिकारों को प्रोत्साहन एवं संरक्षण देना।

viii. प्रमुख हितभागियों यथा मीडिया, राजनैतिक समूह और समुदाय आदि के बीच लोक संचेतना, लैंगिक समानता एवं विकास की परस्पर संबद्वता की समझ को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शिका एवं समुचित सद्भावपूर्ण संवाद विकसित करना।

4 वृहत रणनीति

i. **लैंगिक विश्लेषण एवं मुख्य धारा में सम्मिलित करने हेतु क्षमतावर्द्धन:–** इस नीति का केन्द्रीय विषय लैंगिक विश्लेषण एवं उनके विकास के सभी पहलुओं को मुख्यधारा में लाने के लिए विकास हितभागियों (सरकारी तथा गैर–सरकारी संस्थाओं) का क्षमतावर्द्धन है।

ii. **लैंगिक परिप्रेक्ष्य एवं शासन विधान:–** यह नीति महिलाओं की विश्लेषणात्मक क्षमता में ठोस निवेश के द्वारा विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की सार्थक सहभागिता एवं उनके स्वामित्व को सुदृढ़ करने हेतु एक प्रयास करती है। यह नीति–निर्णय संरचनाओं एवं सभी क्षेत्रों की समितियों में महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रतिनिधित्व को भी प्रोत्साहन देगी।

iii. **महिला सशक्तीकरण तंत्र की क्षमता का सुदृढ़ीकरण:–** महिला सशक्तीकरण नीति के कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के समन्वय पर कारगर नेतृत्व को व्यवहार में लाने के लिए लैंगिक एवं महिला सशक्तीकरण तंत्र की क्षमता एवं सामर्थ्य के स्थापन एवं सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता दी जाएगी।

iv. **जेंडर बजट प्रक्रिया:–** यह नीति अपने लक्ष्य एवं उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विवेच्य सभी क्षेत्रों के कार्यक्रमों में जेंडर संवेदी बजट प्रावधान एवं पर्याप्त संसाधन और लोक व्यय के आवंटन के संस्थापन का हिमायत करेगी और यह भी सुनिश्चित करेगी कि सरकारी बजट और निर्धारित नीतियों एवं कार्यक्रमों के द्वारा महिलाओं की आवश्यकताओं एवं हितों पर भी विचार हो।

v. **पैरोकारी (एडवोकेसी):–** लैंगिक समानता के मुद्दों तथा महिला सशक्तीकरण नीति के कार्यान्वयन हेतु सभी स्तर पर सामाजिक बदलाव के लिए लामबंदी इस नीति की प्राथमिकता होगी।

vi. **महिला और लैंगिक हिंसा के प्रति संवेदनशीलता एवं लोक शिक्षा :–** महिला सशक्तीकरण के मुद्दे पर लैंगिक हिंसा एवं अन्य मानवाधिकार उल्लंघन के कारणों एवं परिणामों पर जागरूकता पैदा करने के अभिप्राय से लोक शिक्षा, मीडिया एवं बैठकों का सहारा लेना तथा लैंगिक हिंसा के मामलों के उन्मूलन और प्रबंधन हेतु प्रभावी तंत्र विकसित करना।

vii. लैंगिक संवेदी विधानः– यह नीति कानून में सुधार एवं लैंगिक संवेदी विधान के अधिनियमन के हिमायत पर विशेष बल देगी।

viii. हितभागियों के बीच समन्वयः– लैंगिक समानता और महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तीकरण के लिए विकास साझीदारों, सिविल सोसाईटी संगठनों, गैर–सरकारी संगठनों, मीडिया एवं समुदायिक नेतृत्व के साथ समन्वय मजबूत करना।

5. महिला सशक्तीकरण की राज्य नीति की प्राथमिकता वाले कर्णांकित क्षेत्र

यह नीति राज्य की स्थिति के सुसंगत क्षेत्रों की पहचान करती है और विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय अभिकरणों के द्वारा कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करती है। विभिन्न स्तर पर व्यापक परामर्शक प्रक्रिया के द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों का अभिनिर्धारण किया गया है,जिसके द्वारा बिहार में लैंगिक समानता को समग्र बढ़ावा देने में योगदान की प्रबल संभावना है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर सुविस्तृत कार्य योजना के निर्माण एवं सफल कार्यान्वयन के लिए हस्तक्षेप की नीति भी अपनायी जायेगी, जिसका क्षेत्रवार विवेचन आगे किया गया हैः–

सामाजिक क्षेत्र :-

i. महिलाओं के गिरते हुए लिंग अनुपात के मुद्दे का समाधान करने के लिए सख़्ती से मूल्यांकन एवं कार्ययोजना का क्रियान्वयन और कन्या भ्रूण/शिशु हत्या पर रोक लगाना, बाल विवाह उन्मूलन तथा सामाजिक संचेतना बढ़ाना और समाज को शिशु कन्या के प्रति संवेदनशील बनाना।

ii. महिलाओं एवं बालिकाओं के विरूद्ध हिंसा एवं अपराध के निवारण हेतु महिलाओं को सशक्त करने के उपाय करना।

iii. कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं लैंगिक उत्पीड़न मुक्त वातावरण के निर्माण हेतु महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न(निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 व महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न(निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) नियम, 2013 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

iv. विषम परिस्थितियों में महिलाओं को समान अवसर, अनिवार्य सेवाएँ एवं संसाधन उपलब्ध कराना।

v. कल्याणकारी योजनाओं का प्रावधान, असंगठित क्षेत्र में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य लाभों की सुनिश्चितता एवं शोषणमुक्त वातावरण संबंधी नीति एवं कार्यक्रम बनाना।

आर्थिक क्षेत्र :-

i. सभी आर्थिक क्षेत्रों में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा समान अवसर प्रदान करना।

ii. सूचना प्रावैधिकी में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता एवं क्षमताओं का विकास करना।

iii. महिलाओं की क्षमता एवं कौशल का विकास कर उनके लिए रोजगार एवं आय उपार्जन के अवसरों को बढ़ाना।

iv. स्वयं सहायता समूहों के गठन, क्षमता विकास एवं वित्त पोषण के माध्यम से उनमें उद्यमिता का विकास करना एवं उनके उत्पादों के लिए बाजार पहुँच सुनिश्चित कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना।

v. समाज में महिलाओं को समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक सुनिश्चित कराना।

vi. सभी प्रकार की योजनाओं में जेंडर बजट प्रक्रिया का प्रावधान करना तथा उसके अंकेक्षण एवं मूल्यांकन में महिलाओं की सहभागिता को बढावा देना।

शैक्षणिक क्षेत्र :-

i. महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए शिक्षा सुनिश्चित करते हुए सभी क्षेत्रों में उनके जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाना और उनके लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना।

ii. प्रारंभिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण औपचारिक एवं अनौपचारिक, रोजगारपरक, व्यावसायिक, तकनीकी और जीवन कौशल शिक्षा, प्रशिक्षण तथा नियोजन की उपलब्धता समान रूप से सुनिश्चित करना।

राजनैतिक क्षेत्र :-

i. योजना निर्माण, निर्णयन एवं शासन की प्रक्रियाओं में महिलाओं की प्रभावी सहभागिता और साझेदारी सुनिश्चित करना।

ii. महिला सशक्तीकरण संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों का अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं विश्लेषण तथा वार्षिक समीक्षा एवं प्रतिवेदन तैयार करना।

सांस्कृतिक क्षेत्र :-

i. वृतचित्र, चलचित्र, नुक्कड़ नाटक एवं सूचना–शिक्षा–संप्रेषण सामग्री के माध्यम से महिला सशक्तीकरण हेतु जागरूकता फैलाना।

ii. समाज में फैली महिला कुरीतियों यथा– बाल विवाह, लैंगिक हिंसा, दहेज प्रथा, डायन प्रथा, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक असमानता आदि प्रथाओं के उन्मूलन हेतु प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया तथा समाज के उत्तरदायी व्यक्तियों के माध्यम से जागरूकता फैलाना एवं समाज को संवेदनशील बनाना।

स्वास्थ्य एवं पोषण क्षेत्र :-

i. महिलाओं एवं किशोरियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ एवं आहार तथा पोषण सुनिश्चित करना।

ii. वन्य एवं प्राकृतिक संसाधनों, स्वच्छ जल, स्वच्छता तक ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं की पहुँच एवं सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।

6 नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु संस्थागत तंत्र : -

i. समाज कल्याण विभाग इस नीति के कार्यान्वयन तथा समन्वय करने हेतु नोडल विभाग होगा तथा महिला सशक्तीकरण संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों का अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं विश्लेषण तथा वार्षिक समीक्षा एवं प्रतिवेदन तैयार करेगा। इसके लिए बहुविध अभिगम अपनाए जाने की आवश्यकता होगी और विभिन्न विभागों की सहभागिता की जरूरत पड़ेगी।

ii. इस नीति का कार्यान्वयन सभी विभागों की जिम्मेदारी होगी। सभी विभाग इस नीति के अंतर्गत आनेवाले क्षेत्रों के अनुरूप अपने कार्यों को विनिर्दिष्ट करते हुए अलग कार्ययोजनाएँ समय्–सीमा और बजट के साथ तैयार कर उनपर अमल करेंगे। अन्तर्जिला एवं अंतर्समुदाय के बीच के असंतुलन को दूर करने हेतु सम्यक् ध्यान दिया जाएगा।

iii. लैंगिक मुद्दों का मुख्यधारा के कार्यक्रमों एवं योजनाओं के साथ समेकन एवं सही अनुश्रवण अपेक्षित है। इस हेतु योजना एवं विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग राज्य स्तर पर इसका समेकन करेगा और सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक विभागीय योजना से महिलाओं एवं बालिकाओं की विनिर्दिष्ट आवश यकताओं का समाधान एक सुनिश्चित सीमा तक हो।

iv. प्रत्येक विभाग राज्य स्तर पर एक नोडल अधिकारी मनोनीत करेगा, जो विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन का लैंगिक मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में अनुश्रवण करेगा।

v. समाज कल्याण विभाग नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु सभी विभागों, सरकारी एवं गैर–सरकारी संगठनों, लोक प्रतिनिधियों, बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं तथा महिलाओं के समूहों एवं संगठनों के साथ नियमित रुप से समन्वय स्थापित करेगा।

vi. सरकार महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं तथा कार्यक्रमों के प्रभाव के आकलन के लिए आवश्यक शोध करेगी तथा प्राप्त परिणामों के आधार पर आवश्यक सुधार करेगी।

7 अनुश्रवण संकेतक

प्रभावी अनुश्रवण के लिए सभी विभागों एवं हितभागियों तथा सामुदायिक स्तर पर ठोस एवं सामूहिक प्रयासों की अपेक्षा होगी। प्रत्येक संबंधित विभाग से अपेक्षा होगी कि वे अपनी योजना–नीति एवं कार्यक्रमों को बनाए जाने हेतु स्वयं की प्रक्रियाओं एवं परिणामी संकेतक विकसित करें। राज्य में नीति के कार्यान्वयन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले संकेतक निम्नलिखित हैं:–

i. लिंगानुपातः– मातृ एवं शिशु मृत्यु दर की अवस्थिति, भ्रूण हत्या में कमी, भ्रूण की जाँच एवं हत्या की स्थिति में दंडित व्यक्तियों की संख्या, सूचना एवं जनसंचार

माध्यमों का उपयोग एवं आच्छादन, पुरस्कृत व्यक्तियों एवं संस्थाओं की संख्या, लिंगानुपात की स्थिति आदि।

ii. **पोषण,स्वास्थ्य एवं स्वच्छताः–** पोषण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं तक महिलाओं एवं किशोरियों तथा संस्थागत प्रसवीकरण एवं परिवार कल्याण योजनाओं तक महिलाओं की पहुँच, स्वास्थ्य केन्द्रों एवं चिकित्सा कर्मियों की सेवाओं की स्थिति, बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति, सुरक्षित एवं स्वच्छ जलापूर्ति, शौचालय की उपलब्धता, स्वच्छता उपायों का प्रयोग एवं रोगियों की संख्या आदि।

iii. **शिक्षाः–** स्कूलों में बच्चियों की नामांकन दर, छीजन दर, उपलब्ध योजनाओं तक पहुँच की दर, महिला एवं किशोरियों के लिए स्थापित शैक्षणिक संस्थानों की संख्या, विद्यालयों में उपलब्ध बुनियादी सुविधायें, पाठ्यक्रमों में जेण्डर सम्बन्धी विषयों का समावेशन आदि।

iv. **सामाजिक सशक्तीकरणः–** प्रतिवेदित जेण्डर सम्बन्धी हिंसा की स्थिति, महिलाओं की अप्राकृतिक मृत्यु के मामले, जेण्डर सम्बन्धी योजनाओं तक महिलाओं एवं किशोरियों की पहुँच, जेण्डर प्रशिक्षण का आच्छादन, विभिन्न जेण्डर मुद्दों पर किए गए हिमायत के प्रयास, सुरक्षा एवं पुनर्वास हेतु स्थापित संस्थाओं की संख्या, सामान्य बजट में जेण्डर बजट का आवंटन आदि।

v. **आर्थिक सशक्तीकरणः–** रोज़गार एवं स्वरोज़गार में महिलाओं की भागीदारी दर, जीविकोपार्जन योजनाओं में महिलाओं का अनुपात, स्वयं सहायता समूहों की संख्या, उनका वित्तपोषण, बैकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा महिलाओं के लिए साख सृजन की दर, प्रशिक्षण एंव कौशल विकास कार्यक्रमों में महिलाओं एंव पुरूषों का अनुपात, महिला उद्यमियों की संख्या, कार्य स्थल पर उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं की स्थिति आदि।

vi. **राजनीतिक सशक्तीकरणः–** महिला जन प्रतिनिधियों की संख्या, पंचायत/निकायों में महिलाओं का अनुपात एवं सहकारी संगठनों, शासी निकायों आदि में महिलाओं की सहभागिता दर।

★★★

3 एकीकृत कार्ययोजना का निर्माण एवं अनुश्रवण

1 एकीकृत कार्ययोजना

बिहार राज्य महिला सशक्तीकरण नीति के कार्यान्वयन हेतु सभी संबंधित विभाग नीति के अनुरूप कार्ययोजना तैयार करेंगे जिसे समाज कल्याण विभाग द्वारा समेकित कर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रधान सचिव / सचिवों की समिति में अनुमोदन हेतु रखा जायेगा। अनुमोदित एकीकृत कार्ययोजना के अनुरूप संबंधित विभागों द्वारा कार्यान्वयन किया जायेगा।

2 समीक्षा एवं अनुश्रवण

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित अनुश्रवण समिति प्रत्येक छः माह पर कार्ययोजना के कार्यान्वयन की राज्य स्तरीय समीक्षा करेगी।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मिशन मानव विकास से संबंधित लक्ष्यों एवं संगत कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण एवं समीक्षा हेतु गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति इस नीति के आलोक में कार्य योजना के अनुश्रवणीय बिन्दुओं की समय–समय पर समीक्षा करेगी।

★★★

एकीकृत कार्ययोजना

1 लिंगानुपात संतुलन

लक्ष्य : कन्या भ्रूण हत्या को रोकने हेतु पूर्वधारणा एंव प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकी अधिनियम (पी0सी0पी0एण्डटी0 अधिनियम), का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना, अधिनियम के उल्लंघन की स्थिति में कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई करना तथा असंतुलित लिंग अनुपात के मुद्दों को उठाना ।

प्रतिफल : राज्य में महिलाओं एवं पुरूषों के लिंग अनुपात में संतुलन स्थापित करना तथा इसके लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना।

क्र. सं.	कार्यकलाप	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग	अनुश्रवणीय संकेतक
1.1	शतप्रतिशत जन्म का पंजीकरण, सतत अनुश्रवण तथा लिंग अनुपात संतुलन हेतु जिला केन्द्रित कार्ययोजना का निर्माण एवं कार्यान्वयन एवं विशेष टास्क फोर्स (कार्यदल) का गठन।	योजना एवं विकास	1. स्वास्थ्य 2. समाज कल्याण	पंजीकरण दर, जिलों के प्रगति प्रतिवेदन, लिंगानुपात दर आदि।
1.2	शैक्षणिक संस्थानों व सामजिक संगठनों के माध्यम द्वारा विभिन्न प्रचार माध्यमों से महिलाओं के पक्ष में संवेदनशील सकारात्मक वातावरण का निर्माण।	शिक्षा	समाज कल्याण	संवेदनशील कार्यक्रमों की संख्या, भ्रूण हत्या में कमी, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर की स्थिति आदि।
	पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संबंधित हितभागियों यथा– विधिक विशेषज्ञों, पुलिस आदि का संवेदीकरण एवं प्रशिक्षण ।	स्वास्थ्य		प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या आदि।
	लिंगानुपात संतुलन हेतु राज्य, जिला व प्रखंड स्तर पर संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं, प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण/संवेदनशीलता कार्यक्रमों का आयोजन।			राज्य, जिला व प्रखंड स्तर पर संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं, प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण/संवेदनशीलता पर आयोजित कार्यक्रमों तथा प्रतिवेदन।

क्र.सं.	कार्यकलाप	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग	अनुश्रवणीय संकेतक
1.3	पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों/प्रयोगशालाओं की जिम्मेदारी निर्धारित करना, अभिलेखों की जाँच करना तथा जिला प्रशासन द्वारा धावा दल का गठन कर समय–समय पर औचक निरीक्षण करना तथा पदाधिकारियों की जिम्मेवारी सुनिश्चित करना।	स्वास्थ्य	गृह	कार्य प्रतिवेदन, मार्गदर्शिका, जाँच प्रतिवेदन आदि।
1.4	गैर–सरकारी संगठनों/ सिविल सोसाइटी/ संगठनों के माध्यम से प्रभावी दबाव समूहों का जमीनी स्तर तक विस्तार।	स्वास्थ्य	1. पंचायती राज 2. ग्रामीण विकास 3. नगर विकास एवं आवास 4. समाज कल्याण	आच्छादन प्रतिवेदन, कार्य प्रतिवेदन आदि।
	उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति/ समूह/ग्राम पंचायतों/ प्रखंड तथा जिलों को पुरस्कृत करना एवं सकारात्मक लिंगानुपात वाले जिलों व निर्धारक तत्वों का अध्ययन कर बाकी जिलों में लागू करना।	स्वास्थ्य		पुरस्कृत व्यक्तियों एवं संस्थाओं की संख्या, लिंगानुपात की स्थिति, शोध प्रतिवेदन आदि।

2 गुणवत्तापूर्ण पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता

लक्ष्य : महिलाओं एवं किशोरियों के लिए गुणवत्तापूर्ण पोषण,स्वास्थ्य,एवं स्वच्छता सुनिश्चित करना।

प्रतिफल : महिलाओं एवं किशोरियों में पोषण के स्तर को बढ़ाना,स्वच्छता के प्रति संवेदीकरण और उन्नत एवं परिष्कृत प्रजनन एवं स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना तथा संस्थागत प्रसव को बढ़ाना।

क्र.सं.	कार्यकलाप	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग	अनुश्रवणीय संकेतक
2.1	महिलाओं एवं किशोरियों की स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता तथा चिकित्सा सुविधाओं/सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित कराना।	स्वास्थ्य	1. समाज कल्याण 2. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	पोषण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं तक महिलाओं एवं किशोरियों की पहुँच की दर, लाभार्थियों की संख्या, सर्वेक्षण प्रतिवेदन आदि।
	ग्रामीण स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता दिवस (VHSNDs) सेवाओं को और सुदृढ़ बनाते हुए फ्रंट लाइन कार्यकर्त्ता (यथा– आशा, आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका आदि) को प्रशिक्षित करने का प्रावधान। गर्भवती एवं धात्री विशेषकर महादलित महिलाओं को नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रत्येक जांच के लिए, एक दिन का न्यूनतम मजदूरी देने का प्रावधान।	स्वास्थ्य	1. वित्त 2. समाज कल्याण 3. अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण 4. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	लाभार्थियो की संख्या, प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधित प्रतिवेदन आदि।
	गर्भवती एवं धात्री महिलाओं व बच्चों के लिए संपूरक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करना व इसके बारे में जागरुक करना।	समाज कल्याण	स्वास्थ्य	महिलाओं एवं बच्चों की पोषण की स्थिति, जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या आदि।

क्र.सं.	कार्यकलाप	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग	अनुश्रवणीय संकेतक
2.2	स्वास्थ्य केन्द्रों एवं परिवार कल्याण सेवा केन्द्रों को संसाधनयुक्त बनाना तथा उपलब्ध सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण।	स्वास्थ्य	वित्त	रोगियों में होनेवाली मृत्यु दर में कमी, स्वास्थ्य केन्द्रों एवं चिकित्सा कर्मियों की सेवाओं की स्थिति, रोगियों की संख्या आदि।
	कुपोषण दर घटाने हेतु पोषण पुनर्वास केन्द्र (एन0आर0सी0) व आँगनबाड़ी केन्द्रों की अधिकाधिक उपलब्धता विशेषतः महादलित व अतिपिछड़े प्रधान क्षेत्रों में सुनिश्चित करना।	समाज कल्याण	1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण 2. पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण	पोषण पुनर्वास केन्द्र (एन0आर0सी0) व आँगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या आदि।
2.3	प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा कर्मियों ,आँगनबाड़ी केन्द्रों तथा स्वच्छता कार्यक्रमों से जुड़े कर्मीयों का लैंगिक एवं महिला हिंसा से जुड़े मुद्दों पर संवेदीकरण।	स्वास्थ्य	1. समाज कल्याण 2. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	संवेदीकरण कार्यक्रमों की संख्या, प्रशिक्षण संबंधित प्रतिवेदन आदि।
2.4	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा कर्मियों को नवीनतम तकनीकी पद्धति एवं चिकित्सालय प्रबंधन पर सतत प्रशिक्षण।	स्वास्थ्य	विज्ञान एवं प्रावैधिकी	प्रशिक्षण कायक्रमों की संख्या आदि।
2.5	सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में कम–से–कम एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, जी0एन0एम/ए0एन0 एम0, आशा आदि महिला कर्मियों की पदस्थापना सुनिश्चित करना ।	स्वास्थ्य		कर्मियों की संख्या, पदस्थापना प्रतिवेदन आदि।
2.6	महिलाओं एवं किशोरियों में लैंगिक व मातृत्व संबंधित अधिकारों एवं यौन व प्रजनन स्वास्थ्य के अधिकार पर जागरुकता।	स्वास्थ्य	समाज कल्याण	जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर की स्थिति, परामर्श केन्द की संख्या, प्रतिवेदन आदि।

क्र.सं.	कार्यकलाप	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग	अनुश्रवणीय संकेतक
	सभी चिकित्सा केन्द्रों पर स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण संबंधी परामर्श की सुविधा सुनिश्चित करना।	स्वास्थ्य	1. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण 2. समाज कल्याण 3. आपदा प्रबंधन 4. सूचना एवं जनसंपर्क	परामर्श केन्द्रों की संख्या, परामर्श संबंधी प्रतिवेदन आदि।
	महिलाओं व किशोरियों को प्राकृतिक आपदा के पश्चात होने वाली बीमारी व स्वच्छता संबंधित जानकारी से अवगत करना।			जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या, प्रतिवेदन आदि।
2.7	स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण संबंधी कार्यक्रमों/योजनाओं यथा –सेनेटरी नेपकिन आदि में प्रदत्त वित्तीय अनुदान सीधे महिला लाभुकों तक पहुँचाना।	समाज कल्याण	1. वित्त 2. ग्रामीण विकास 3. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	लाभुको की संख्या, भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन आदि।
	जनन संबंधी संक्रमित रोगों यथा– एच॰आई॰वी॰/एड्स, एस॰टी॰आई /एस॰टी॰डी आदि से ग्रस्त महिलाओं/किशोरियों के लिए जागरूकता एवं आवश्यकतानुसार पुनर्वास।	स्वास्थ्य	समाज कल्याण	जागरूकता कार्यक्रमों से संबंधित प्रतिवेदन, पुनर्वासितों की संख्या आदि।
	विकलांग महिलाओं हेतु गर्भधारण काल व प्रसव के दौरान विशेष सुविधाएँ प्रदान करना तथा सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर विशेष प्रबंध करना।	स्वास्थ्य	समाज कल्याण	विकलांग लाभुकों की संख्या, स्वास्थ्य केन्द्रों पर विकलांगों को प्रदत्त सुविधाओं की स्थिति आदि।
	प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था में महिला मानसिक रोगियों के लिए पर्याप्त संस्थागत व सामुदायिक पुनर्वास सुविधा स्थापित करना।	स्वास्थ्य	समाज कल्याण	प्रदत्त सुविधाओं की स्थिति, पुनर्वास संबंधित प्रतिवेदन आदि।

3 अनुकूल वातावरण बनाने हेतु महिलाओं तथा बालिकाओं के लिये शिक्षा

लक्ष्य : शिक्षा के माध्यम से सामर्थ्यकारी वातावरण का निर्माण कर महिलाओं एवं बालिकाओं को अन्य जीवनपरक अवसर सुनिश्चित कर उनके जीवन की विशिष्टिताओं का संवर्धन।

प्रतिफल : महिलाओं एवं बालिकाओं को चुनौतीपूर्ण जीवन के लिए तैयार करना तथा उनके जीवन में गुणात्मक क्षमता का विकास।

क्र.सं.	कार्यकलाप	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग	अनुश्रवणीय संकेतक
3.1	शिक्षा का अधिकार अधिनियम का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना तथा विशेष रूप से निःशक्त, मानसिक विकलांग, किशोरियों व महिलाओं के लिएं विशेष प्रावधान एवं जागरूकता।	शिक्षा	1. विधि 2. समाज कल्याण	अनुपालन प्रतिवेदन, प्रावधानों का समावेश, जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या आदि।
3.2	शिक्षा के माध्यम से महिलाओं का सशक्तीकरण व उनको विकास की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु विशेष कार्यक्रम, मौजूदा योजनाओं एवं कार्यक्रमों का सतत अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण दिशा–निर्देश तथा गुणवत्तापूर्ण अनुश्रवण व मूल्यांकन के लिए मानदंड का निर्धारण ।	शिक्षा	1. समाज कल्याण 2. पंचायती राज	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रतिवेदन, मुख्यधारा से जुड़ाव का प्रतिशत, मानदंड आदि।
3.3	ग्राम पंचायत समिति / ग्राम पंचायत द्वारा शिक्षकों एवं छात्र–छात्राओं की उपस्थिति को सुनिश्चित करना।	पंचायती राज	शिक्षा	शिक्षकों एवं छात्र–छात्राओं की उपस्थिति दर आदि
	छात्राओं की छीजन दर (Drop out Rate) की स्थिति का मूल्यांकन एवं शिक्षकों, अभिभावकों आदि के साथ इस पर विचार–विमर्श, इसके रोक–थाम हेतु शिक्षा प्राधिकार के साथ समन्वय से क्षेत्रवार विशेषीकृत योजना का निर्माण करना।	शिक्षा	1. पंचायती राज 2. नगर विकास एवं आवास 3. समाज कल्याण	छीजन दर, मूल्यांकन प्रतिवेदन, योजना कार्यान्वयन प्रतिवेदन आदि।

क्र.सं.	कार्यकलाप	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग	अनुश्रवणीय संकेतक
	बालिकाओं के छीजन के कारणों, अवरोधों की पहचान कर उनकी पढ़ाई जारी रखने हेतु सकारात्मक वातावरण का निर्माण तथा संसाधनों का प्रावधान, यथा–बालिका छात्रवृत्ति, संरक्षण तथा सुरक्षा, बालिका छात्रावास, साईकिल योजना आदि।	शिक्षा	समाज कल्याण	उपलब्ध सुविधाएँ एवं संसाधन, लाभुकों की संख्या, अनुपालन प्रतिवेदन आदि।
3.4	विशेष जानकारी सत्र, दूरस्थ/पत्राचार पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षकों–छात्रों हेतु अनिवार्य लैंगिक संवेदीकरण प्रशिक्षण का आयोजन; मानसिकता में बदलाव हेतु सभी हितभागियों एवं सेवा प्रदाताओं यथा–शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों, जनप्रतिनिधियों एवं समुदायों के लिए लैंगिक संवेदीकरण कार्यक्रमों का आयोजन, महिला अधिकारों के संरक्षण आदि को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना एवं उनके अधिकारों का प्रचार–प्रसार।	शिक्षा	1. समाज कल्याण 2. पंचायती राज 3. नगर विकास एवं आवास	लैंगिक संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम की संख्या, आयोजन प्रतिवेदन, पाठ्यक्रम में समावेश की स्थिति, प्रचार कार्यक्रमों का प्रतिवेदन आदि।
3.5	स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में बालिका शिक्षा तथा किशोरी बालिका से संबंधित मुद्दे जैसे स्वास्थ्य, जीवन कौशल आदि को सम्मिलित करना।	शिक्षा	समाज कल्याण	स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में समावेश तथा इससे हुए प्रतिशत वृद्धि आदि।
3.6	किशोर एवं किशोरियों के लिए जेण्डर संवेदीकरण से संबंधित पाठ्यक्रम प्राथमिक स्तर से ही शुरु किया जाना।	शिक्षा	समाज कल्याण	स्कूलों में कार्यक्रम का विस्तार, कार्यान्वयन प्रतिवेदन आदि।
3.7	उच्चतर शिक्षा में रोज़गारपरक व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष बल देना, गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए कम्प्यूटर, व्यक्तित्व विकास, कौशल निर्माण, संप्रेषण कौशल आदि मूल्य आधारित शिक्षा पर केन्द्रीकृत रूप से ध्यान देना।	शिक्षा	1. विज्ञान एवं प्रावैधिकी 2. श्रम एवं संसाधन	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या, रोजगार दर आदि।

क्र.सं.	कार्यकलाप	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग	अनुश्रवणीय संकेतक
	गैर–पारंपरिक व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करना एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।	शिक्षा	1. विज्ञान एवं प्रावैधिकी 2. श्रम एवं संसाधन	प्रशिक्षण की संख्या, लाभार्थियों की संख्या आदि।
	पढाई में कमजोर तथा स्कूल के बाहर की छात्राओं के लिए विशेष ब्रिज कक्षाओं का प्रावधान।			लाभुकों की संख्या आदि।
3.8	विकलांग बालिकाओं तथा महिलाओं के शैक्षणिक विकास के लिए विशेष प्रावधान करना एवं शैक्षणिक संस्थानों में उनके लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं यथा–रैंप, अलग शौचालय आदि उपलब्ध कराना तथा उनकी पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करना।	शिक्षा	समाज कल्याण	विकलांग बालिकाओं तथा महिलाओं के लिए रैंप, अलग शौचालय आदि की उपलब्धता तथा उपयोग में वृद्धि दर आदि।
3.9	राज्य में बालिकाओं/महिलाओं की पहुँच डिग्री कॉलेजों, पॉलिटेकनिक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों तक उपलब्ध कराना।	शिक्षा	1. शिक्षा 2. विज्ञान एवं प्रावैधिकी	नामांकन दर आदि।
3.10	जेंडर संबंधित विषयों एवं महिला अध्ययन केन्द्र तथा जेण्डर विषयों पर डिग्री, डिप्लोमा कोर्स एवं विशेष छात्रवृत्ति का प्रावधान तथा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा महिला/जेण्डर अध्ययन (Women/ Gender Studies) विषय को प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु ऐच्छिक विषय के रुप में स्थापित करना।	शिक्षा	1. समाज कल्याण 2. बिपार्ड	संबंधित आदेश, छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों की संख्या, विषयों का प्रावधान, प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु ऐच्छिक विषय के रूप में समावेश आदि।

क्र.सं.	कार्यकलाप	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग	अनुश्रवणीय संकेतक
3.11	बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु राज्य, जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर प्रशिक्षण/शिक्षण/कोचिंग केन्द्र की स्थापना।	शिक्षा	1. समाज कल्याण 2. अनु.जाति/ जनजाति कल्याण 3. पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण 4. अल्पसंख्यक कल्याण 5. बिपार्ड	प्रशिक्षण/शिक्षण केन्द्र की स्थापना आदि।
3.12	विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में बालिकाओं की सुरक्षा एवं आत्मरक्षार्थ जुडो–कराटे, मार्शल आर्ट आदि के प्रशिक्षण सम्बन्धी व्यवस्था तथा खेलकूद की विभिन्न विधाओं के लिए प्रोत्साहन।	शिक्षा	1. शिक्षा 2. कला संस्कृति एवं युवा	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या, खेलकूद की विभिन्न विधाओं से जुड़ाव आदि।
3.13	महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए निजी शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा के लक्ष्य, प्रतिफल एवं गतिविधि का निर्धारण करना, साथ ही इन प्रतिष्ठानों में बालिकाओं के लिए प्रावधानों के गुणवत्तापूर्ण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए मानदंड का निर्धारण करना।	शिक्षा	समाज कल्याण	गतिविधि/अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रतिवेदन आदि।

4 महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए हिंसामुक्त, सुरक्षित एवं समर्थ वातावरण

लक्ष्य :महिलाओं एवं बालिकाओं के ख़िलाफ होने वाली हिंसा,यौन उत्पीडन आदि से संरक्षण एवं त्वरित न्याय के लिए वातावरण निर्मित करना।

प्रतिफल : महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकारों एवं कानूनों के प्रति जागरूकता द्वारा उनके विरूद्ध होने वाली हिंसा एवं अपराध की रोकथाम, सिविल सोसाइटी एवं महिलाओं को संसाधनयुक्त बनाना, हिंसा या अपराध की रोकथाम के लिए पहल करने हेतु उनको सक्षम बनाना।

क्र.सं.	कार्यकलाप	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग	अनुश्रवणीय संकेतक
4.1	महिलाओं से संबंधित विभिन्न अधिनियमों यथा–महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न(निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 व महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न(निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) नियम, 2013, मातृत्व लाभ अधिनियम, बाल विवाह, दहेज से संबंधित अधिनियम आदि का प्रभावी कार्यान्वयन, बजट उपबंध, सतत अनुश्रवण तथा व्यापक प्रचार–प्रसार करना।	समाज कल्याण	1. विधि 2. गृह 3. वित्त 4. सूचना एवं जनसंपर्क 5. समाज कल्याण 6. सूचना व प्रवैद्यिकी	जेंडर संबंधी आँकड़ें, महिलाओं पर हिंसा से संबंधित मामले, दंडात्मक कार्रवाई प्रतिवेदन, जेंडर प्रशिक्षण का आच्छादन, दर्ज वादों की संख्या, जेंडर बजट आवंटन आदि।
	आधुनिक सूचना तकनीकी यथा–कम्प्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, वेबकैम, आदि उपकरणों के माध्यम से महिलाओं के प्रति सोशल मिडिया आधारित साईबर अपराध हेतु अधिनियमित कानूनों का अनुपालन एवं सभी हितभागियों यथा–पुलिस एवं न्यायिक पदाधिकारियों आदि का संवेदीकरण एवं संसाधनयुक्त बनाना।	गृह		

क्र.सं.	कार्यकलाप	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग	अनुश्रवणीय संकेतक
4.2	अनुमंडल स्तर तक महिला पुलिस थाना, विशेष महिला कोषांग, महिला हेल्पलाईन का विस्तार, सभी थानों में कम–से–कम एक महिला पदाधिकारी की पदस्थापना।	समाज कल्याण	1. गृह	विशेष महिला कोषांग तथा महिला हेल्पलाईन की संख्या तथा पदाधिकारी की नियुक्ति संबंधी प्रतिवेदन आदि।
	महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अनुपालन हेतु संरक्षण पदाधिकारी के संवर्ग का गठन।			अलग संवर्ग का गठन, संरक्षण पदाधिकारी की नियुक्ति आदि।
	महिलाओं एवं किशोरियों की सहायता के लिए 24×7 टॉल फ्री नम्बर प्रारंभ करना।			181 से संबंधित सेल की स्थापना आदि।
	महिला आयोग/महिला हेल्पलाईन को सुदृढ़ करना।			सुदृढ़ीकरण योजना, दर्ज वादों की संख्या, आदि।
4.3	राज्य के सभी शहरों व जिला मुख्यालयों का महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा ऑडिट कर, असुरक्षित इलाकों, हॉस्पिटल, महिला कॉलेज/ स्कूल, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षाकर्मियों की व्यवस्था करना।	गृह	1. समाज कल्याण 2. परिवहन	स्कूल, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन जैसे स्थलों पर सुरक्षाकर्मी की नियुक्ति आदि।
	अंतर्जातिय, अंतर क्षेत्रीय, अंतर धार्मिक विवाह करने वाली महिलाओं व दम्पतियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।	गृह	समाज कल्याण	अनुपालन प्रतिवेदन आदि।
	विधवा विवाह को प्रोत्साहन देना।	समाज कल्याण		अनुपालन प्रतिवेदन आदि।

क्र.सं.	कार्यकलाप	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग	अनुश्रवणीय संकेतक
4.4	जेंडर रिसोर्स सेन्टर की स्थापना, जेंडर संबंधी आँकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण तथा उनपर शोध करना, प्रतिवेदन तैयार करना। महिला सशक्तीकरण की आवश्यकताओं की प्राथमिकताओं का निर्धारण, जेंडर संवेदीकरण पर विभागों, संगठनों, पदाधिकारियों आदि का प्रशिक्षण।	समाज कल्याण	1. सभी विभाग 2. बिपार्ड	जेंडर रिसोर्स सेंटर की स्थापना, शोध रिपोर्ट, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि।
4.5	ग्राम कचहरी के कार्यकलापों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मुद्दों को प्राथमिकता देना।	समाज कल्याण	1. विधि 2. पंचायती राज	ग्राम कचहरी की संख्या, कार्य प्रतिवेदन आदि।
4.6	इंदिरा आवास का आवंटन पत्नी के नाम पर अथवा संयुक्त रुप से पंचायतों द्वारा सुनिश्चित किया जाना।	पंचायती राज	ग्रामीण विकास	इंदिरा आवास का आवंटन, लाभुकों की संख्या आदि।
4.7	सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधानों यथा– हेल्प डेस्क, परिवहन संचालन में महिलाओं की भागीदारी, सीसीटीवी आदि को सुनिश्चित करना।	समाज कल्याण	1. गृह 2. विधि 3. सूचना एवं जनसम्पर्क 4. बिपार्ड	कार्यान्वयन प्रतिवेदन आदि।
	जेंडर मुद्दों तथा महिला केन्द्रित अपराधों पर पुलिस, न्यायिक पदाधिकारियों, मीडिया, शिक्षकों आदि के संवेदीकरण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।			प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या, प्रतिभागियों की संख्या, कार्यवाही आदि।
	सभी महिला हेल्पलाइन/महिला थाना/महिला अल्पावास गृह/आश्रय गृह/रक्षा गृह आदि का सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार माध्यमों से प्रचार–प्रसार।			जन जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या, होर्डिंग्स, बैनर आदि का आच्छादन आदि।

क्र.सं.	कार्यकलाप	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग	अनुश्रवणीय संकेतक
.8	हिंसा पीड़ित, विकलांग महिलाओं के लिए आश्रय गृह, पुनर्वास गृह में विशेष सुविधा का प्रावधान।	समाज कल्याण	गृह	लाभार्थियों की संख्या, आश्रय गृह/पुनर्वास गृह की संख्या, प्रतिवेदन आदि।
.9	महिला संबंधित लंबित मुकदमों के आंकड़ें उपलब्ध कराना व न्यायिक पदाधिकारियों को जिला स्तर की अनुश्रवण कमेटी में शामिल करना।	विधि	1. गृह 2. समाज कल्याण	विशेष न्यायालयों का गठन, महिलाओं से जुड़े मुकदमों में प्रतिशत वृद्धि, अनुश्रवण कमिटि का गठन तथा सजा में प्रतिशत वृद्धि आदि।
.10	महिलाओं के विरूद्ध हिंसा एवं अपराध जैसे कृत्यों के नियमित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर समन्वय समितियों का गठन, जिनमें प्रशासन, पुलिस, न्यायपालिका, गैर–सरकारी संगठन के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता आदि शामिल हों। ये समितियाँ समय–समय पर प्रगति, मूल्यांकन एवं समीक्षा प्रतिवेदन तथा कार्य योजना निर्मित तथा समर्पित करेंगी।	गृह	1. विधि 2. समाज कल्याण 3. सूचना प्रावैधिकी	जिला एवं प्रखंड स्तर पर समन्वय समितियों का गठन, हितभागियों की भागीदारी, समीक्षा प्रतिवेदन आदि।
4.11	पीड़िताओं के आश्रय हेतु सभी जिलों में आश्रय गृह/अल्पावास गृह की स्थापना, सुदृढ़ीकरण तथा पुनर्वास के लिए व्यापक सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक ढाँचा विकसित करना।	समाज कल्याण	गृह	आश्रय गृहों/ अल्पावास गृहों की संख्या, पुनर्वास संबंधी प्रतिवेदन आदि।
4.12	बलात्कार, यौन उत्पीड़न, किशोरियों के यौन शोषण, वेश्यावृति, बलात् दुर्व्यापार, बालश्रम आदि से सुरक्षा हेतु सरकारी विधानों, कानूनों आदि का कठोरतापूर्वक अनुपालन; इसके अपराधियों एवं ऐसे कृत्यों को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई एवं दण्ड सुनिश्चित करना तथा न्याय प्रणाली को त्वरित व जिम्मेवार बनाना।	गृह	1. समाज कल्याण 2. विधि 3. श्रम संसाधन 4. गृह	अनुपालन प्रतिवेदन, वादों के निष्पादन की स्थिति व संख्या, योजना निर्माण, कृत कार्रवाई प्रतिवेदन आदि।
	बालिकाओं एवं महिलाओं के यौन शोषण, अवैध व्यापार (ट्रैफिकिंग), प्रताड़ना, बालश्रम के विरूद्ध नीति व कार्यक्रम निर्मित करना तथा उनका कार्यान्वयन।	समाज कल्याण		

क्र.सं.	कार्यकलाप	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग	अनुश्रवणीय संकेतक
	बलात्कार तथा तेजाब हमले के पीड़ितों के पुर्नवास हेतु विशेष योजना आरंभ करना।	गृह	1. समाज कल्याण	योजना प्रतिवेदन आदि।
4.13	चल तथा अचल सम्पत्ति में महिलाओं के नियंत्रण एवं स्वामित्व में वृद्धि हेतु सकारात्मक प्रयास।	राजस्व एवं भूमि सुधार	1. गृह 2. निबंधन 3. कृषि	संबंधित विशेष कार्य योजना, अनुपालन प्रतिवेदन, लाभार्थियों की संख्या आदि।
4.14	महिलाओं से संबंधित सामाजिक कुरीतियों, रीतिरिवाजों के विरुद्ध पंचायत/स्थानीय निकायों, सामाजिक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों/सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों आदि को उत्तरदायी बनाना तथा तद्नुसार उनका अभिमुखीकरण करना।	समाज कल्याण	1. ग्रामीण विकास 2. नगर विकास व आवास 3. बिपार्ड	अभिमुखीकरण कार्यक्रमों की संख्या, प्रतिभागियों की संख्या, अनुपालन प्रतिवेदन आदि।
4.15	महिलाओं के प्रति उत्पीड़न, हिंसा व अपराध के विरूद्ध किये गये उत्कृष्ट प्रयासों (Best Practices) का संकलन, दस्तावेजीकरण, प्रचार–प्रसार एवं ऐसे प्रयासों को पुरस्कृत करना।	समाज कल्याण	1. ग्रामीण विकास 2. पंचायती राज 3. नगर विकास एवं आवास 4. सूचना एवं जनसम्पर्क 5. बिपार्ड	उत्कृष्ट प्रयासों (Best Practices) का संकलन, दस्तावेजीकरण एवं प्रचार–प्रसार।
4.16	विधवा, परित्यक्ता, एकल, अभिवंचित, अशक्त, बंदी महिला, विकलांग एवं उपेक्षित महिलाओं एवं उनके आश्रितों के लिए विशेष पुनर्वास कार्यक्रमों का प्रावधान तथा उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने हेतु समेकित प्रयास।	समाज कल्याण		लाभार्थियों की संख्या, पुनर्वास कार्यक्रम, अनुपालन प्रतिवेदन आदि।
4.17	जेण्डर संवेदी एवं उत्तरदायी नीति तथा योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु बजट का प्रावधान; जेंडर संबंधी आँकड़ों का संग्रहण; महिला सशक्तीकरण की आवश्यकताओं की प्राथमिकताओं का निर्धारण; जेण्डर अंकेक्षण एवं दस्तावेजीकरण हेतु युक्तियों का निर्धारण। जेंडर बजट पर विभागों, संगठनों, पदाधिकारियों आदि का प्रशिक्षण।	वित्त	1. योजना एवं विकास 2. समाज कल्याण 3. बिपार्ड	बजट का प्रावधान, जेंडर संबंधी आँकड़ें, अनुपालन प्रतिवेदन आदि।

5 आजीविका एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि

लक्ष्य : जीविकोपार्जन, नियोजन एवं आजीविका के अवसरों में विभिन्न कौशल एवं क्षमता विकास कार्यक्रमों द्वारा वृद्धि।

प्रतिफल : महिलाओं की क्षमता एवं कौशल विकास से आत्मनिर्भरता, स्वावलम्बन एवं आजीविका का सम्वर्धन।

क्र.सं.	कार्यकलाप	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग	अनुश्रवणीय संकेतक
5.1	ग्रामीण क्षेत्रों मे आर्थिक रुप से कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं एवं निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर आवास अथवा छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध कराना।	ग्रामीण विकास	1. पंचायती राज 2. समाज कल्याण	लाभार्थियों की संख्या, अनुपालन प्रतिवेदन आदि।
5.2	पंचायत भवन में सूचना/परामर्श केन्द्र की स्थापना कर रोजगार एवं आय बढाने के कार्यक्रमों का सृजन एवं लघु उद्योगों से जोड़ने हेतु कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार कराना।	ग्रामीण विकास	1. पंचायती राज 2. समाज कल्याण 3. कृषि	पंचायत भवन में सूचना/परामर्श केन्द्र की संख्या, रोजगार एवं आय बढाने के कार्यक्रमों की संख्या, क्रियान्वयन प्रतिवेदन आदि।
5.3	राज्य सरकार द्वारा महिला कृषकों एवं उनके समुहों को जटिलता रहित, आसान व न्यूनतम दर पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा अलग से निधि की व्यवस्था करना।	वित्त	1. ग्रामीण विकास 2. पंचायती राज 3. समाज कल्याण 4. कृषि	लाभार्थियों की संख्या, ऋण की उपलब्धता, अनुपालन प्रतिवेदन आदि।
5.4	आय एवं रोजगार के अवसरों को चिन्हित करना एवं डाटाबेस बनाना; तदनुसार कौशल एवं क्षमता विकास की नीति एवं कार्यक्रमों का निर्माण।	श्रम संसाधन	1. पंचायती राज 2. ग्रामीण विकास 3. नगर विकास एवं आवास 4. कृषि	डाटा बेस एवं नीति तैयार करना तथा इसका क्रियान्वयन एवं प्रतिवेदन आदि।

क्र.सं.	कार्यकलाप	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग	अनुश्रवणीय संकेतक
5.5	आय एवं रोजगार के अवसरों में सुधार लाने हेतु संगठित तथा असंगठित क्षेत्र के संगठनों, लघु एवं ग्रामीण उद्योगों कृषि एवं गैर–कृषि फार्म आदि के साथ समन्वय एवं संबद्धता।	श्रम संसाधन	1. उद्योग 2. पंचायती राज 3. ग्रामीण विकास विभाग 4. नगर विकास एवं आवास 5. कृषि	डाटा बेस तैयार करना, विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना, कार्य योजना का निर्माण, कार्यान्वयन प्रतिवेदन आदि।
5.6	सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों, निजी निकायों की सहायता से विशेष प्रशिक्षण, तकनीकी शिक्षा, शिल्प के विकास हेतु प्रशिक्षण तथा महिलाओं में उद्यमिता एवं प्रबंधन कौशल का विकास एवं सुदृढीकरण, जिससे महिलाओं की रोजगार तक पहुँच सुनिश्चित हो।	श्रम संसाधन	1. उद्योग 2. पंचायती राज 3. ग्रामीण विकास 4. नगर विकास एवं आवास	डाटा बेस, कार्य योजना, लाभार्थियों की संख्या, कार्यान्वयन प्रतिवेदन आदि।
5.7	महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर सामाजिक, आर्थिक रूप से सशक्त एवं स्वावलम्बी बनाना। महिलाओं एवं उनके समूहों/संगठनों को प्रक्रियागत जटिलतारहित, आसान व न्यूनतम दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराना। महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी संगठनों के प्रोत्साहन एवं वित्त पोषण हेतु विशेष कोष की स्थापना।	ग्रामीण विकास	1. पंचायती राज 2. समाज कल्याण 3. उद्योग 4. नगर विकास एवं आवास 5. वित्त 6. योजना एवं विकास	स्वयं सहायता समूहों की संख्या, साख जुड़ाव, सहकारी संगठनों की संख्या, ऋण की उपलब्धता, विशेष कोष की स्थापना करना आदि।
5.8	बैंक या अन्य सेवा केन्द्रों पर महिला सहायता केन्द्र का प्रावधान करना, जिससे ग्रामीण व अशिक्षित महिलाओं को आर्थिक सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके।	वित्त	सभी विभाग	महिला सहायता केन्द्रों की संख्या, लाभुकों की संख्या, संबंधित प्रतिवेदन आदि।
5.9	कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए शिशु–सदन की सुविधाएँ, सकारात्मक कार्य दशायें, सुरक्षित एवं स्वास्थ्यकर वातावरण तथा समान अवसर प्रदान करना।	समाज कल्याण	सभी विभाग	शिशु सदनों की संख्या, उपलब्ध सुविधाएँ, अनुपालन प्रतिवेदन आदि।

क्र.सं.	कार्यकलाप	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग	अनुश्रवणीय संकेतक
	सकारात्मक कार्य दशाएं, सुरक्षित एवं स्वास्थ्यकर वातावरण यथा– समान मजदूरी, विश्राम स्थल, उनके बच्चों के लिए पालनाघर, शौचालय, पेयजल आदि की व्यवस्था करना।	समाज कल्याण	सभी विभाग	
	विस्थापित तथा खनन क्षेत्र में महिलाओं को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पृथक कोष का प्रावधान करना।	खान व भूतत्व	वित्त	उपलब्ध सुविधाएँ, लाभुकों की संख्या, अनुपालन प्रतिवेदन आदि।
5.10	जन वितरण प्रणाली में महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी संगठनों में सकारात्मक भागीदारी एवं पहुँच सुनिश्चित करना।	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	1. ग्रामीण विकास 2. सहकारिता	लाभुकों की संख्या, क्रियान्वयन प्रतिवेदन आदि।
5.11	सूक्ष्म, लघु एवं कुटीर उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी तथा स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन तथा उनके उत्पादों की बिक्री हेतु बाजार उपलब्ध कराना ।	उद्योग	1. श्रम संसाधन 2. ग्रामीण विकास	लाभुकों की संख्या, क्रियान्वयन प्रतिवेदन आदि।
	कृषि ,लघु, एवं कुटीर उद्यमियों के उत्पादों के विपणन व अन्य सभी सहायता हेतु Single window system के गठन का प्रयास करना।			
5.12	वन, कृषि एवं गैर–कृषि फार्म से आय सृजित करनेवाले कार्यकलापों को बढ़ावा, खनिज सम्पदा, प्राकृतिक संसाधनों आदि के दोहन,स्वामित्व एवं प्रबन्धन में महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी।	कृषि	1. सहकारिता 2. समाज कल्याण, 3. पर्यावरण एवं वन 4. खान एवं भूतत्व 5. ग्रामीण विकास 6. पशु एवं मत्स्य संसाधन	महिलाओं की प्रतिशत भागीदारी, लाभुकों की संख्या आदि।
	किसी भी निविदा प्रक्रिया में निर्धारित शर्तो को पूरा करने वाली महिलाओं /स्वंय सहायता समूहो को उच्चतम डाक कर्त्ता न होते हुए भी, प्राथमिकता दिया जाना।	वित्त	सभी विभाग	निविदा, कार्यादेश प्राप्तकर्त्ताओं की संख्या, कार्यान्वयन प्रतिवेदन आदि।

6 निर्णय प्रक्रिया एवं अभिशासन व्यवस्था में महिलाओं की सकारात्मक भागीदारी

लक्ष्य : निर्णयन एवं अभिशासन प्रक्रियाओं में महिलाओं की समान सहभागिता एवं अपेक्षित भूमिका सुनिश्चित करना तथा राजनीतिक भागीदारी में प्रभावी योगदान हेतु समर्थ बनाना।

प्रतिफल : निर्णयन, अभिशासन प्रक्रिया में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी से उनके विकास की मुख्यधारा से जुड़ाव।

क्र.सं.	कार्यकलाप	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग	अनुश्रवणीय संकेतक
6.1	स्थानीय निकायों में महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करना; भागीदारी बढ़ाने वाली नीति, कार्यक्रम व योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन।	पंचायती राज	1. समाज कल्याण 2. नगर विकास एवं आवास	पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या, भागीदारी बढ़ाने हेतु योजना का कार्यान्वयन प्रतिवेदन आदि।
6.2	पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों के चुनावों में महिलाओं की प्रभावी सहभागिता को प्रोत्साहित करने तथा निर्णय क्षमता के विकास हेतु संवैधानिक प्रावधानों, महिला अधिकारों, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, प्रशासनिक नियमों, वित्तीय प्रावधानों पर विशेष प्रशिक्षण का नियमित आयोजन तथा प्रचार– प्रसार हेतु जागरुकता अभियान।	पंचायती राज	1. समाज कल्याण 2. बिपार्ड 3. सूचना एवं जनसंपर्क 4. नगर विकास एवं आवास	प्रशिक्षण कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, निर्णयन की समीक्षा प्रतिवेदन आदि।
6.3	महिलाओं में व्यक्तिगत निर्णय क्षमता के विकास हेतु नेतृत्व, निर्णयन, समन्वय तथा प्रबन्धन पर प्रशिक्षण एवं सभी जन प्रतिनिधियों के लैंगिक संवेदीकरण हेतु कार्यशालाओं, विचार गोष्ठियों आदि का आयोजन।	पंचायती राज	1. समाज कल्याण 2. नगर विकास एवं आवास	लैंगिक संवेदीकरण हेतु कार्यशालाओं, विचार गोष्ठियों का आयोजन, कार्यान्वयन प्रतिवेदन आदि।

कार्यकलाप	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग	अनुश्रवणीय संकेतक
महिला सशक्तीकरण निधि का सृजन, जो महिलाओं के विकास एवं सशक्तीकरण संबन्धी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सुलभ हो।	योजना एवं विकास	1. वित्त 2. समाज कल्याण	निधि के गठन संबंधी आदेश, कार्यान्वयन प्रतिवेदन आदि।
विभिन्न सरकारी विभागों, गैर–सरकारी संगठनों एंव अन्य लोक संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम का प्रखंड एवं जिला स्तर पर समेकित रूप से डाटाबेस तैयार एवं विकसित करना तथा राज्य महिला सूचना एवं संसाधन केन्द्र के अन्तर्गत उनको संधारित व विश्लेषित करना।	समाज कल्याण	1. पंचायती राज 2. नगर विकास एवं आवास 3. सूचना एवं प्रावैधिकी 4. ग्रामीण विकास	डाटाबेस का संधारण, संसाधन केन्द्र प्रतिवेदन आदि।
सभी प्रकार की संस्थाओं/शासी मंडलों में अधिक–से– अधिक महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए आवश्यक कार्रवाई।	सभी विभाग	सभी विभाग	महिला प्रतिनिधियों की संख्या, प्रतिनिधित्व प्रतिशत आदि।
लोकतांत्रित प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना व इस संबंध में उन्हें सूचना का अधिकार, जवाबदेही, पारदर्शिता आदि के संबंध में जागरुक करना एवं विभिन्न विकास कार्यक्रमों व योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना।	पंचायती राज	1. ग्रामीण विकास 2. समाज कल्याण 3. नगर विकास एवं आवास	भागीदारी की स्थिति, जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या आदि।

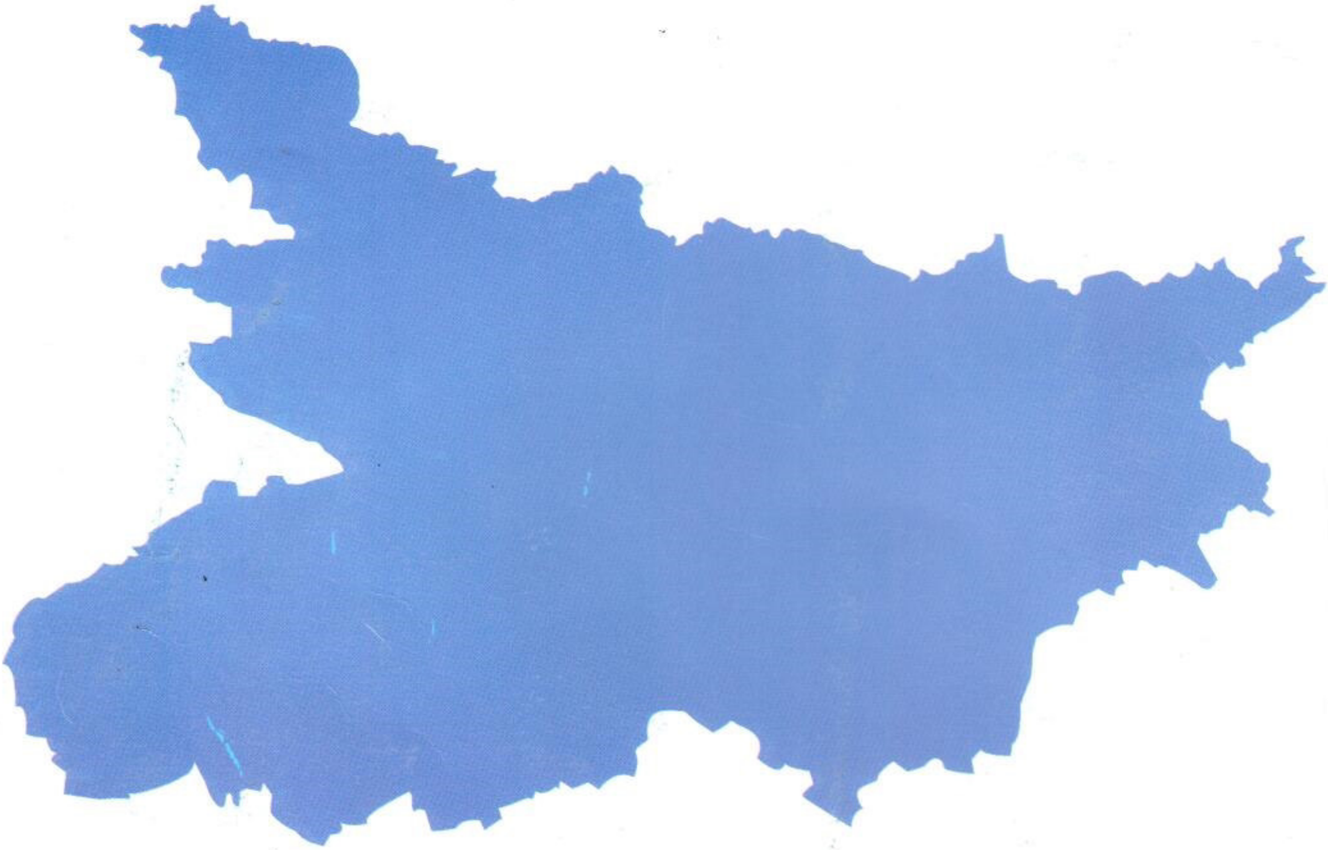

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार